कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक 2383/2ई0व0भू0, दिनांक 4 /09/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय :- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरूड़ कौसानी मोटर मार्ग से द्योररा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग निर्माण। (प्रस्ताव संख्या-15521/2015)

सन्दर्भ :- **Online Objection Dated 30-07-2018**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें, लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर निस्तारण आख्या निम्न प्रकार है :-

क्र0सं	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	Justification is not authenticated by DFO in Form A, part I, please upload Justification at para-D(i) in form A. part-I .	Justification is uploaded at para-D(i), part-I authenticated by DFO.
2	The village level committee (VLC) proceeding for each village separate with separate attendance sheet according to filled details B-2.3 village wise breakup along with FRA may also be provide and upload in para K part-I.	Only one Gram Panchayat and one habitation for the same is passing through the alignment. So VLC for Gram Panchayat Dhaurada and habitation Ratouda is uploaded at para K part-I.
3	In para-E of online part-I, it is mentioned that permanent and temporary Employment for 02 person and 60 person respectively, is likely to be generated which does not appears to be corrected.	Permanent and temporary Employment for 02 person and 60 person respectively was shown. Now Permanent employment 0 temporary employment 350 shown at para-E of online part-I.
4	Same documents uploaded in the place of non encrumberance and ownership details at section L(iv)-g.h) in Form A, part-I please rectify.	Ownership details at section L(iv)-g.h) in Form A, part-I is rectified and found correct belonging to the proposal which is correct.
5	Uploaded SOI toposheet, GIS maps of alignment and CA area are not authenticated by DFO in Form A, part-I.	Authenticated GIS map and CA is now uploaded in form-A, part-I.
6	CA scheme not uploaded in form A, part-II at para-13 rectify accordingly.	Action taken from your end please.
7	NPV calculation detail has not been uploaded at para-13 in form A, Part-II. NPV calculation must be done according to filled density and Eco class at para-4(i) in Form A, Part-II.	Action taken from your end please.

Therefore, you are request to upload the same from your end please.

Executive Engineer
Provincial Division PWD
Bageshwar

परियोजना का नामः— जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरूड़ कौसानी मोटर मार्ग से द्यौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का औचित्य

जिला योजना 2011–12 के अन्तर्गत जिला अधिकारी, बागेश्वर के आदेश संख्या 1499/ जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011 द्वारा जनपद बागेश्वर में गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से द्यौराड़ा होते हुए कपलेश्वर मंदिर तक सम्पर्क मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 कि.मी. के निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यो (यथा सर्वेक्षण, वन भूमि हस्तान्तरण, आदि) के लिए रू0 0.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु व्रित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

सर्वेक्षण उपरान्त विकास खंड, गरूड़ के अन्तर्गत कौसानी–गरूड़ राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 11 के कि.मी. 58 है.मी. 2–4 से द्यौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 3 कि.मी. आती है। ग्राम द्यौराड़ा (110), एवं रतूड़ा (164) मुख्य मोटर मार्ग से नीचे घाटी की ओर बसे है और अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े है। इन ग्रामों में विभिन्न प्रकार के फलों एवं शाक शब्जी का उत्पादन बहुतायत में होता है परन्तु परिवहन सुविधा न होने से कास्तकारों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। दूरस्थ क्षेत्र होने एवं यातायात की सुविधा न होने से अधिकारी/ कर्मचारी तैनाती पर नहीं जाना चाहते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यरूप से शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा से क्षेत्रवासियों को बंचित रहना पड़ता है। इस सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से जहां कास्तकारों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा, वही युवावों को स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने से शहरों की ओर पलायन रूकेगा। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की जलौनी लकड़ी पर निर्भरता रहती हैं। सरकार द्वारा वनों के कटान को रोकने हेतु अधिक से अधिक रसोई गैस का प्रचार प्रसार किया जा रहा है परन्तु परिवहन व्यवस्था न होने से स्थानीय जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मोटर मार्ग निर्माण होने से वनों के कटान पर भी रोक लगेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 70 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है एवं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कास्तकारो की निजी नाप भूमि के अलावा लगभग सभी प्रकार की भूमि को वन अधिनियम के दायरे में लिया गया है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। मार्ग के संरेखण मे कुल 1.4875 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही हैं।

अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण हैं।

सहायक अभियंता प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 बागेश्वर	वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर	अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 बागेश्वर